हुक्म से
अहलकार
हुक्म की ता
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

दिनांक:–

क्रमांक / आवेदन / 2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थी**

1 धुड़ाराम पुत्र खेराजराम
जाति जाट निवासी खारापार
तहसील गिड़ा

1 तहसीलदार गिड़ा।

दिनांक :–

प्रकरण संख्या 186/2022

–: आदेश :–

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खेत मौजा खारापार पटवार हल्का खारापार तहसील गिड़ा के खसरा नंबर 213/157 रकबा 0.0728 हैक्टयर में आई हुई है। लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद कब्जा काश्त में भारी अन्तर है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के समर्थन में वर्तमान जमाबन्दी, वर्ष 2075 से 2078 तक की जमाबंदी नकल, नक्शा एवं वर्तमान मौके अनुसार नक्शा ट्रैस हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया जो संलग्न पत्रावली किये गये।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की तहसीलदार गिड़ा द्वारा जांच करवाई गई। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त मौका रिपोर्ट में तहसीलदार गिड़ा द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी के खेत मौजा खारापार पटवार हल्का खारापार तहसील गिड़ा के खसरा नंबर 213/157 रकबा 0.0728 हैक्टयर भूमि की तरमीम वक्त बटवाड़ा अनुसार नहीं की जाकर गलत की गई है। जो कि गलत है।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेज व तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसरण में प्रस्तुत प्रस्तावित परिशिष्ट अ अनुसार लट्ठा ट्रेस में की गई अशुध्द व गलत तरमीम को शुध्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आदेश के अनुसार तहसीलदार गिड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

6/12/2022
(मनोज)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु
दिनांक :

क्रमांक :आवेदन/2022/
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

6/12/2022
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु